वित्त मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
मंत्रिमंडल के लिए मार्च, 2022 माह हेतु मासिक सारांश

मार्च, 2022 माह के दौरान लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा की गई प्रमुख गतिविधियां और महत्वपूर्ण प्रयासों के बारे में एक अद्यतन रिपोर्ट (अपडेट) निम्नवत है:-

1. **कैपेक्स लक्ष्य:**

मार्च, 2022 माह तक के चुनिंदा सीपीएसईज़ और अन्य सरकारी संगठनों के संबंध में 5.75 लाख करोड़ रुपये (संशोधित प्राक्कलन) के वार्षिक कैपेक्स लक्ष्य और उसकी उपलब्धि से संबंधित जानकारी दिनांक 06 अप्रैल, 2022 को प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत की गई थी। 5.75 लाख करोड़ रुपये (लगभग) के अनुमानित व्यय की तुलना में, उपलब्धि 5.55 लाख करोड़ रुपये (लगभग) या लगभग 96.56% है। एयर इंडिया लिमिटेड के संबंध में जानकारी नवंबर, 2021 तक है।

2. **मंत्रिमंडल/सीसीईए नोट्स:**

टिप्पणियों के लिए प्राप्त अन्य विभाग के मंत्रिमंडल नोट के एक मसौदा की डीपीई द्वारा जांच की गई और उस पर टिप्पणियां जारी की गईं।

3. **जीईएम और एमएसएमई के माध्यम से खरीद से संबंधित मामले:**

i) डीपीई और सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) ने जीईएम से सीपीएसईज़ द्वारा खरीद से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दिनांक 24 मार्च, 2022 को एक ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न सीपीएसईज़ के 300 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। सीपीएसईज़ के प्रतिभागियों को जीईएम द्वारा शुरू की गई नई विशेषताओं/सुविधाओं से अवगत कराया गया और उनके प्रश्नों का समाधान किया गया।

ii) डीपीई और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसईज़) से सीपीएसईज़ द्वारा खरीद से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दिनांक 25 मार्च, 2022 को एक ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न सीपीएसईज़ के 300 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। सीपीएसईज़ के प्रतिभागियों को एमएसएमई-संबंध और एमएसएमई-समाधान पोर्टल के कामकाज के बारे में अवगत कराया गया और एमएसईज़ से सार्वजनिक खरीद के बारे में उनके प्रश्नों का समाधान किया गया।

iii) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सिफारिशों के अनुसार, डीपीई ने सभी केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों से अनुरोध किया है कि वे एमएसएमई खरीद दिशानिर्देशों में दिए गए अनुसार अनुसूचित जाति के विक्रेताओं से खरीद से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा पहले से ही अधिसूचित प्रभाव मूल्यांकन के प्रावधानों के अनुसार उनके कौशल विकास/शिक्षा से संबंधित सीएसआर कार्यों के परिणामों का पता लगाएं।

4. **नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (पीएसई) नीति**

दीपम द्वारा दिनांक 21.03.2022 को डीपीई को सीपीएसईज़ और अन्य सरकारी एजेंसियों की गैर-मुख्य परिसंपत्तियों के परिसंपत्ति मुद्रीकरण से संबंधित कार्यों के हस्तांतरण के अनुसरण में, डीपीई के सचिव की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक दिनांक 25 मार्च, 2022 को आयोजित की गई थी, जिसमें i) एमएसटीसी द्वारा विकसित ई-नीलामी मंच के विकास और कार्य-निष्पादन, ii) जीईएम के फॉरवर्ड नीलामी प्लेटफॉर्म, और iii) परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए दीपम द्वारा नियुक्त अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति सलाहकारों (आईपीसी) को सौंपे गए कार्य की स्थिति की समीक्षा की गई थी।

5. **अंतर-मंत्रालयी बैठकें और विशेष अभियान:**

माह के दौरान तीन आईएमजी/सीजीडी/सीएमसीडीसी बैठकें आयोजित की गईं ।

6. **प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं:**

i) डीपीई ने 10 और 11 मार्च, 2022 को गांधीनगर में चुनिंदा छह सीपीएसईज़ के सीएमडी/ निदेशक (वित्त) के साथ वन-टू-वन बातचीत बैठक आयोजित की ताकि उन्हें जीआईएफटी-आईएफएससी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की नीति के संबंध में जागरूक बनाया जा सके।

ii) डीपीई ने इस महीने के दौरान ऑनलाइन माध्यम से दो कार्यशालाओं का आयोजन किया, जिसमें 'निविदा, खरीद और अनुबंध में किए जाने वाले संविदा प्रबंधन/सुरक्षोपाय' और 'सीपीएसईज़ में महिला सशक्तिकरण' पर चर्चा की गई, जिसमें केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों/एसएलपीईज़ के 152 कार्यपालकों ने भाग लिया।

iii) डीपीई ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2022 को सीपीएसईज़ द्वारा की गई सीएसआर पहल और अनुसूचित जनजातियों के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में सुधार की दिशा में उनकी भागीदारी पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई बैठक में भाग लिया।

iv) डीपीई ने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) के सहयोग से दिनांक 15 मार्च, 2022 को ऑनलाइन मोड के माध्यम से केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज़) के निदेशकों के क्षमता निर्माण के लिए एक दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में 71 निदेशकों ने भाग लिया। भाग लेने वाले सदस्यों को उनके कर्तव्यों, जिम्मेदारियों, दायित्वों और बोर्ड के कानूनी वातावरण के अवलोकन, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कॉर्पोरेट विश्वसनीयता और शासन मानक अनुपालन में सुधार और स्वतंत्र निदेशक और जोखिम गवर्नेंस के सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के संबंध में जागरूक बनाया गया था। इसी तरह के उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 22 मार्च, 2022 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के सहयोग से ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया गया था, जिसमें 55 निदेशकों ने भाग लिया था।

v) डीपीई ने 24 और 25 मार्च, 2022 को कोलकाता में दो दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम का भी आयोजन किया, जिसमें 29 निदेशकों ने भाग लिया।

*****